गयी है। प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाती है और यह सहायता राशि योजना के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर किस्तों में दी जाती है। वित्तीय संस्थानों का अंशदान प्रति विकास केन्द्र 5 करोड़ रुपये होता है। इस कार्य के लिए केन्द्रीय एजेंसी के रूप में काम करने वाले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ब्यौरे तैयार करने का अनुरोध किया गया है और यह भी अनुरोध किया गया है कि कार्यान्वयनाधीन विकास केन्द्रों को अपना अंशदान देने लगे।

New agency to help entrepreneurs

2718. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be Pleased to state:

(a) Whether Government's attention has been drawn to a newsitem which appeared in the Economic Times dated 7th October, 1992 captioned "The red tape is alive and kicking";

(b) whether Government are aware of any study undertaken recently by the Confederation of Indian Industry according to which "an entrepreneur still faces 18 Agencies for clearance under the I.D.R. Act" and confronted by "51 inspectors" dealing with industrial laws aparr from difficulties in getting funds, clearance from DGTD, CCI &E, Pollution Control Board, excise duties etc; and

(c) if so, whether Government propose to set up some institution or agency which could provide the base line data all over the country with a veiw to save those entrepreneurs who are relatively small in terms of investment or capacity etc.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) and (b) yes' Sir. The Government is aware of the Newsitem in the Economic Times and the study undertaken by the Confederation of Indian Industry.

(c) All elcarances under the provision of I (D&R) Act, are given by the Secretariat for Industrial Approvals in the Ministry of industry. Subsequent to the announcement of new Industrial Policy, procedures for according approvals have been substantially simplified. A Facilitation Call has been set up in the Ministry of Industry to provide information to the entrepreneurs on Licensing Policy, tariffs and duties, corporate taxation and company law matters.

राजस्थान में उद्योगों की स्थापना

2719. श्री मूलचन्द मीणा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उद्योगों के स्थापित किए जाने संबंधी कितने प्रस्ताव राजस्थान से प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और कितने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये; और

(ग) इन प्रस्तावों के अस्वीकार कर दिये जाने के क्या कारण थे?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि राजस्थान में उद्योगों की स्थापनार्थ औद्योगिक लाइसेंस, हेतु 1991 और 1992 (नवम्बर तक) के दौरान कितने आवेदन मिले:-

	1991	1992 (नवम्बर तक)
(1) प्राप्त आवेदनों की संख्या	104	15
(2) अनुमोदित	14	9
(3) अस्वीकृत	33	1
(4) लाइसेंस आवश्यक नहीं था/आवेदन वापिस ले लिये गये	44	—

(ग) आवेदन मुख्यतया क्षमता संबंधी अड़चनों,